अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 454(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "संकारा आई हॉस्पिटल, सं०1, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट,श्री संकारा नगर, पम्मल, कांचीपुरम जिला चेन्नै 600075-तमिलनाडु" द्वारा "कन्नोली-विजन सेवर" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2881 (अ०) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 10 करोड़ रू0 की कॉपर्स निधि सहित 12.25 करोड़ रू0 से बढ़कर 15 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 20 करोड़ रू0 होने और कार्य के क्षेत्र को ओडिशा राज्य तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने तथा उक्त परियोजना लागत को 10 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 12.25 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 15 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 20 करोड़ रू0 करने और कार्य क्षेत्र को ओडिशा राज्य तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "संकारा आई हॉस्पिटल, सं.1, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, श्री संकारा नगर, पम्मल, कांचीपुरम जिला, चेन्नै 600075-तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "कन्नोली-विजन सेवर" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2370(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 4 की सारणी के कॉलम 3 में “कन्नोली-विजन सेवर” की परियोजना के अंतर्गत् कार्य के क्षेत्र को ओडिशा राज्य तक बढ़ाया जाए और धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित कॉलम (4) में “10 करोड़ रूपए की कॉपर्स निधि सहित 12.25 करोड़ रू0” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों लिए “15 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सहित 20 करोड़ रू0” अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 84/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)